

A word about ABC. ABC is, by and large, discharging its responsibility well. I do not think my hon. friend should be in a hurry to make allegations against the ABC because uptill now no such malpractices have come to our notice where ABC has not discharged the responsibility they are called upon to do....

SHRI SAMAR GUHA: If you permit me, Sir . . .

MR. SPEAKER: Please have patience. You are a fully mature gentleman. Kindly have patience. I am not prepared for interruption every now and then.

SHRI I. K. GUJRAL: I very much regret to say and I say it with a great deal of pain that, by and large, the complaints are against small papers and the Registrar of Newspapers is taking action. Most of the mal-practices we have found in the case of small newspapers. I say it with a great deal of pain and anguish because our policy is to help the small newspapers and unfortunately, this is what is happening. That is why we will need more vigilance in that sector. It is no use applying the vigilance to the other sector, whatever be the views of others. There, the difficulties may be lesser and I ignore that area where difficulty has not become visible. Even the story of the *Economic Times* is based on that sector more to which we cannot afford to close our eyes any more.

18.19. hrs.

RE STRIKE BY RAILWAY EMPLOYEES

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): We have already given notices...

श्री अशोक प्रियदर्शी वाकनेकी (भारतियर): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के आप को देने के इच्छाम के बारे में लिखा है। आजकल प्रशासकों में यह खबर छपी है कि प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों को लिख

दिया है कि रेल कर्मचारियों को बोलेस नहीं मिल सकता है। अगर यह बात है, तो फिर बातचीत चलाने का कोई धर्म नहीं है। यहां रेल मंत्री कहते हैं कि हम खुले दिमाग से चर्चा करन के लिए तैयार हैं और वहां प्रधान मंत्री ने अपना दिमाग बना लिया है। गिरफ्तारियों के समाचार आ रहे हैं।

SHRI S. M. BANERJEE: You kindly hear us for two minutes.

श्री मधु लिखव (बाका): गिरफ्तारिया हो रही हैं। एक और बातचीत और दूसरी और जल। अध्यक्ष महोदय, आप सब सदस्यों को दो दो मिनट के लिए सुन लोअिये।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री है, जो उनकी पालिसी है, जो उनकी हिदायते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वह लिख सकती हैं। यह कौन सा तरीका है? किमी बान की हद हानी चाहिए। आप की एडमिनिस्ट्रेशन जब आयेंगी आप प्रधान मंत्री बनेगे तब आप क्या करेंगे?

नो कन्सेशन, नो डिस्कशन।

प्रधान मंत्री को अपने मुख्य मंत्रियों से बान करने का, उन्हें हिदायत देने का पूरा अधिकार है।

I am not allowing any Member. I have not allowed any Motion or any discussion. I am not calling any hon. Member.

कोई बवान व्यवस्था बरिगह का नहीं है।

आप लोगों ने यह क्या राज मजाक बना रखा है? हर बात में ये धाते हैं। राजाना ऐसी बाने करने हैं। यह योजना आप का करना होता है, इसके लिए बगैर काम नहीं बन सकता है?

न कोई कन्सेशन, न कां. त। आप एम नाट एनाउंसिंग। इस न ह से न। करते हैं।

आपको अगर बहुत करबानी है तो क्या उसका यह तरीका है? हमने दो

[अध्यक्ष महोदय]

तारीख को मीटिंग बलाई है। कोई बात हो तो आपको मिल कर पूछना चाहिए उसके बारे में। दो तारीख को बी.एस.सी. की मीटिंग में फैसला कर लेंगे। आज का विजिनेम फिक्स्ड है। कल छूटी है। दो तारीख को मीटिंग बुला कर फैसला करेंगे। और क्या चाहते हैं आप? 377 में आप रोज देते हैं। यह भी कोई बात है कि जो बात कल की वही आज की और वही कल परसों फिर करेंगे? 377 की बात और है। जिन्होंने 377 दिया, अब सनर गुह का 377 है, एक तरफ उधर भी लिया और इधर भी शामिल है। आप लोग पहले ले लेते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ शामिल हो जाते हैं। यह क्या तरीका है?

कई बात हो तो उस पर प्वाइंट आफ आर्डर आ सकता है।

Point of order on what? There is nothing before the House. I have to pass on to the next item. We have finished with the first item and there is no business.

यह अच्छी बात नहीं है इस तरह से रोज करना। आप दड़े मीनिशर हैं। लेकिन यह तो आपने रोज काम पकड़ा है यह अच्छा नहीं है। वहम के लिए उर्मी दिन मैंने आप को बता दिया और हर रोज बताता हूँ। कल आप एडजर्नमेंट मोशन लेकर आए। मैंने इजाजत दे दी। मैंने आपको यह भी कहा कि इस पर बैठकर कोई बात मुकर्रर करेंगे। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन लेने के बाद आपने खुद कहा कि नहीं जी, हमें काफी मौका मिल गया है। होम मिनिस्ट्री की डिमांड पर।

I am going to present the proceedings before you.

आपने कहा कि एडजर्नमेंट मोशन की जरूरत नहीं है। हम डिसकशन का मौका चाहते हैं।

लिमये जी, एक बात मझे बताइये।

Can there be any point of order when there is no business before the House? The first item is over and I have to take up the next item.

म.मला तो अब आना था। अभी एक खन्म हुआ है, दूसरे पर आना था, आप बीच में खड़े गये हो।

मैं सलज कमेटी की मीटिंग बुलाता हूँ। उस में आप कुछ वक्त मुकर्रर कर दीजिये, इस तरह के कामों के लिए। यह जो आप रोज खड़े हो जाते हैं शाउटिंग करते हैं, चैरेंज करते हैं, कहिये कि पन्ध बीस मिनट रोज यह हुआ करता। उसमें हम चुप बैठ जाया करेंगे।

SHRI S. M. BANERJEE: Let the Railway Minister make a statement on which we should start the discussion.

MR. SPEAKER: When we fix it later on I will ask the Railway Minister. There is nothing on the agenda for which the Railway Minister could be asked to come to the House.

ता 0 2 को मीटिंग करेंगे, उस में देखेंगे

I am so sorry. I am not allowing any Member except the next item.
(Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not calling any hon. Member to speak. Let everyone sit down now. They are speaking without my permission.

I am surprised at this. I am not permitting anyone to speak.

Why should he be concerned with that? I am not entertaining anything. I am not calling any Minister to make a statement now.

हर रोज कोई न कोई बात अखबारों में आती है आप इस तरह से कैसे खड़े हो कते हैं

I cannot ask the hon. Minister to make a statement every day. Hon. Members are making it a daily practice.

Let hon. Members not ask such questions. I cannot react to it every day. This is an every-day phenomenon. I am not going to allow it now. If they do this kind of demonstration every day, there is no alternative except to stop them.

We have already fixed a meeting of the Business Advisory Committee on the 2nd May and we shall discuss this there. We cannot have that meeting today because we have other meetings also.

Hon. Members cannot make Parliament a forum for raising everything that comes.

आप लोगों को अपोजीशन के राइट्स है, लेकिन हम हद तक न जाय कि सारे हाउस को रैनसम तक ले जाये।

They are holding the House to ransom. They have no right to hold the whole House to ransom.

I cannot ask the Railway Minister to come every day and make a statement, whatever happens

अगर आप लोगों को हाउस बनाना है ना फिर मेरी कोई जरूरत नहीं मान्य होगी है।

अगर आप लोगो न आपस में ही बात करके सब तय करना है ना मेरी क्या जरूरत है।

श्री मधु मिश्र :

13 40 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

Affidavit of Shri C. R. Das Gupta of I O C before Pipeline Inquiry Commission.

श्री मधु मिश्र (बाँका) : अध्यक्ष महोदय, शनिवार 27 अप्रैल, 1974 के टाइम्स आफ

इंडिया में निम्न खबर पढ़कर मुझे अचरज हुआ (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मैंने "टाइम्स आफ इंडिया" में यह खबर पढ़ी की श्री सी० आर० दासगुप्ता को आई० सी० सी० का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है तो मैं सोचने लगा कि जिस व्यक्ति ने गंगा पाल्पुमन इक्वायरी कमीशन की रपट के बारे में कैंब्रिज का जो निर्णय था आर पब्लिक अडरटैकिंग कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उनके खिलाफ आचरण किया है उस अफसर को सरकार ने पदोन्नति क्यों दी ?

कमर सरकार ने कुछ समय पहले श्री पी० एन० इकर के नेतृत्व में आइल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन तथा इंडियन आइल कारपोरेशन के अध्यक्षों वा चयन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी।

इस कमेटी ने इंडियन आइल के तीन अफसरों में साक्षात्कार किया था जिनके नाम मबं श्री सी० आर० दासगुप्ता, पी० आर० के० मेनन तथा कमलजीत सिंह हैं। आइल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन के अध्यक्ष के लिए उन्होंने श्री प्रसाद वा चयन किया है। जहाँ तक इंडियन आइल का मबान है उन्होंने इंडियन आइल के तीन अफसरों में में किमी को भी इस मबच्चि पद के लिए उपयुक्त नहीं ममझा।

मुझे ताज्जुब होता है कि सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त हकमर कमेटी की राय की उपेक्षा कर इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद पर श्री सी० आर० दासगुप्ता की पदोन्नति की।

लेकिन श्री सी० आर० दासगुप्ता की पदोन्नति को चुनौती देना इस वक्त मेरा मसमद नहीं है। इस मान्यता भग के नेटिव के द्वारा मैं आपका और सभा का ध्यान श्री सी० आर० दासगुप्ता द्वारा पब्लिक अडर-टैकिंग कमेटी की जो मान-हानि की गयी है